

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबन्धन विभाग

निबन्धन
आदेश

सं०सं०-Vi/स्था०(अरा०)नि०वि०विध-29/2023...1146...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रीकरण लिपिक संवर्ग के प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल (वेतन स्तर-06) को उच्चतर पद कार्यालय अधीक्षक के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-07) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

क्र० सं०	वरीयता क्रमांक (मूल कोटि)	नाम	गृह जिला	कोटि
1	2	3	4	5
1	72	श्री अमित कुमार	गोपालगंज	सामान्य
2	94	श्री संतोष कुमार	नालंदा	अनु०जाति
3	105	श्री महेश पासवान	जहानाबाद	अनु०जाति
4	108	श्री आनंदी राम	मुजफ्फरपुर	अनु०जाति
5	118	श्री इन्द्रदेव चौधरी	नालंदा	अनु०जाति
6	119	श्री रणजीत कुमार रजक	पटना	अनु०जाति
7	127	श्री दीपक कुमार दास	भागलपुर	सामान्य
8	131	श्री झुनेश्वर कुमार	नालंदा	अ०पि०व०
9	134	श्री कन्हैया मरन्डी	कटिहार	अनु०ज०जा०
10	138	श्री सुनील कुमार	सहरसा	पिछड़ा वर्ग

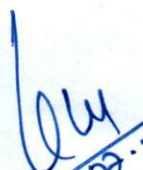
02. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300 दिनांक 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
03. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ कार्यालय अधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

04. उपर्युक्त प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक कार्यालय अधीक्षक (वेतन स्तर-07) में उत्क्रमित किया जाता है।

05. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश को संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा एवं एतद् क्रम में उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार्य होगा।

06. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश/न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर प्रदान की जाती है।

07. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- Vi/स्था0(अरा0)नि0.विविध-29/2023 1146 पटना, दिनांक:- 07.03.25

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सभी संबंधित समाहर्ता सह जिला निबंधक/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी संबंधित जिला अवर निबंधक/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।


उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।